स्थगित है/अनुपस्थित है। शीघ्र पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है/अस्वस्थ हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~कार्य व्यवस्था है~~।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-8-19 को पेश हो।

रीडर

2-8-19 वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी बहस को समय चाहते हैं। अतः वास्ते बहस पत्रावली दि० 30-8-19 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

30-8-19 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 18-9-19 को पेश हो।

18-9-19 वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी बहस को समय चाहते हैं अंतिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 16-10-19 को पेश हो।

16-10-19 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रा० दि० 13-11-19 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

13-11-19 वकील उभयपक्ष उप०। बहस को समय चाहते हैं, अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 26-11-19 को पेश हो।

26-11-19 वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 11-12-19 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

11-12-19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(A) R.T. एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रा। कियागया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री ...

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/2014	27.1.2014	11.12.2019

1. नसिन बानो पत्नी मो0 नफीस खॉन, मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी ——प्रार्थिया

बनाम

1. नारंगी बेबा रामरतन, मीना निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. प्रकाश पुत्र रामरतन, मीना निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
3. कुंजी पुत्र श्रवण, मीना निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
4. रामू पुत्र मुन्ना, मीना निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री संतोष कुमार वर्मा, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
श्री भानू कुमार सिंघल, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थिया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की खातेदारी भूमि ख0न0 2152 रकबा 0.25 है0 ग्राम उदेईकलॉ मे स्थित है। प्रार्थिया की खातेदारी भूमि को आने जाने का एक मात्र रास्ता हॉल ख0न0 2167 रकबा 1.45 है0 स्थित ग्राम उदेईकलॉ मे होकर है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज नही होने के कारण ख0न0 2167 के खातेदार प्रार्थिया को अपनी भूमि मे आने जाने मे व्यवधान पैदा करते है तथा ट्रेक्टर ट्राली, बैलगाडी इत्यादि को नही निकलने देते है। प्रार्थिया को भूमि ख0न0 2167 मे होकर 15 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थिया जो रास्ता भूमि ख0न0 2167 मे होकर लेना चाहती है उसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे गुलाबी रंग से दर्शित किया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिया ने भूमि ख0न0 2167 की डीएलसी रेट साथ मे पेश की है तथा प्रार्थिया चाहे गये रास्ते की भूमि की कीमत का बैंक ड्राफ्ट भी विपक्षीगण के नाम से बना लेगी। भूमि ख0न0 2167 की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम है। अतः प्रार्थिया को भूमि ख0न0 2167 मे से रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया नसीम बानो ने भूमि ख0न0 2152 मे से 0.25 है0 भूमि अब से करीब 1 वर्ष पूर्व ही खरीद की है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

इससे पहले उक्त भूमि अन्य खातेदार की थी। प्रार्थिया ने उक्त भूमि काश्त हेतु नही अपितु दीगर उद्देश्य से क्रय की है और बदयांतिपूर्वक जबरन जबाबदारान के खेत मे से रास्ता चाहती है जबकि प्रार्थिया का खेत ख0न0 2152 रकबा 0.25 है0 मे आने जाने हेतु आज तक कभी भी अप्रार्थी जबाबदारान के खेत ख0न0 2167 मे होकर कभी कोई रास्ता नही रहा है, यह मुख्य सडक जो गंगापुर सिटी से नादौती की ओर जाती है जो कि नक्शा ट्रेस मे ख0न0 2167, 2171, 2172, 2172/6247 के पूरब की ओर स्थित है। उस मुख्य सडक से ख0न0 2162/6247 के दक्षिणी ओर से ख0न0 2149 व 2150 के दक्षिण मे होते हुए ख0न0 2150 के पश्चिम मे जो नहर है जो कि नक्शा ट्रेस मे स्पष्ट रूप से दर्शित है उस नहर की पाल पर होकर है और ख0न0 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154 व अन्य खेत वाले भी हमेशा से इसी रास्ते से होकर आते जाते रहे है तथा वर्तमान मे भी अपने खेतो मे इसी रास्ते मे आमद रफ्त करते रहे है। इसके अलावा अन्य खेत भी है जिनमे भी उनके खातेदारान इसी रास्ते से होकर आमद रफ्त कर रहे है जो मौजूदा रास्ता जबाब प्रार्थना पत्र के साथ नजरी ट्रेस नक्शा मे लाल स्याही से दर्शाया जा रहा है। ऐसे मे प्रार्थिया का अपने प्रार्थना पत्र मे यह लिखना कि प्रार्थिया की खातेदारी मे आने जाने का एक मात्र रास्ता हॉल ख0न0 2167 मे होकर है, स्वतः ही गलत हो जाता है। अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 2167 मे होकर ख0न0 2152 या अन्य किसी आराजी मे आने जाने का आज तक कभी कोई रास्ता ही नही रहा है तो प्रार्थिया का अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित करना कि अप्रार्थीगण ख0न0 2167 मे होकर प्रार्थिया को आने जाने मे व्यवधान पैदा करते है स्वतः ही गलत हो जाता है। प्रार्थिया ने काल्पनिक तरीके से मनगढंत झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थिया व इसके पति भूमाफिया किस्म के आदमी है जो औने पौने दामो मे भूमि खरीद कर दूसरो की भूमि खराब कर उन्हे बेचने पर मजबूर कर देते है। जबाबदारान की भूमि कीमती तथा इसमे से रास्ता निकाले जाने से सम्पूर्ण भूमि ही खराब हो जायेगी। इस प्रकार इस भूमि मे रास्ता निकालना विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थिया ने एक वर्ष पूर्व ही यह भूमि खरीदी है एवं इससे पूर्व खातेदार किस मार्ग से इस भूमि पर आते जाते रहे हैं यह प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में जिन व्यक्तियों के नाम जिस तरह से लिखे हैं, गलत है। ख0नं0 2167 के रिकार्डेड खातेदार रामरतन, मुंशी पिसरान श्रवण, कजोडी पत्नी स्व0 मुन्ना, रामू पुत्र मुन हैं। उक्त आराजी के खातेदारान ने बैंक से के0सी0सी0 भी ले रखी है इस कारण खातेदारी में बैंक का नाम भी राहिन

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

के रूप में चढा हुआ है। नारंगी व प्रकाश कोई वर्तमान में खातेदार नहीं है। इसके अलावा नारंगी कोई रामरतन की पत्नी नहीं है बल्कि प्रकाश की पत्नी है।। रामरतन की पत्नी को जगनी थी जो पूर्व में ही मर चुकी है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थिया ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्दाजे से गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यों को छिपाते हुए मैलाफाइड तरीके से प्रस्तुत किया है जो विशेष खर्चे से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 खाता प्रार्थिया, खाता अप्रार्थीगण, नकल नक्शा ट्रेस, डी.एल.सी. दर की उपपंजीयक गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त प्रति प्रस्तुत किए हैं।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/17/2185 दिनांक 28.5.2018 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थिया भूमि ख0न0 2152 की खातेदार काश्तकार है। इस पर आने जाने के लिए प्रार्थिया ख0न0 2167 मे होकर रास्ता चाहती है जो प्रार्थिया के खेत तक पहुचने के लिए नजदीकतम रास्ता है। प्रार्थिया इसके लिए अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. दर से राशि भी भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया को ख0न0 2167 मे होकर 15 फिट चौडा रास्ता प्रार्थिया के खेत तक आने जाने के लिए दिया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण के ख0न0 2167 मे होकर कभी कोई रास्ता नही रहा है। प्रार्थिया को उसके ख0न0 2152 पर जाने के लिए ख0न0 2149 व 2140 के उत्तर व दक्षिण दिशाओ के सहारे सहारे रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है जो सबसे कम दूरी का है। प्रार्थिया ने बदनियती से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया को उसके खेत ख0न0 2152 पर पहुचने के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता मौके पर ख0न0 2149 व ख0न0 2140 के उत्तर एवं दक्षिण दिशाओ से ख0न0 2157

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

के सहारे सहारे वाला है। ख0न0 2167 मे होकर वर्तमान मे कोई रास्ता नही है। प्रार्थिया अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर रास्ता चाह रही है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति वर्ग के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थिया इस वर्ग की व्यक्ति नही है। ऐसी स्थिति मे हमारी राय मे यहॉ यह प्रकरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। फलस्वरूप प्रार्थिया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.24 12:26:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: